

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (जुलाई-अगस्त सत्र, 2025)

(दिनांक 28 जुलाई, 2025 से 08 अगस्त, 2025 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला चक्रानुक्रम विवरण

विभाग का नाम (1)	प्रभारी मंत्री (2)	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक (3)	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन (4)	ऑफलाईन (5)

वर्ग-1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री			
श्रम	श्रम मंत्री			
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री			
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री	28.07.2025	29.06.2025	30.06.2025
सहकारिता	सहकारिता मंत्री	04.08.2025	06.07.2025	07.07.2025
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री			
आयुष	आयुष मंत्री			
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)	तकनीकी शिक्षा मंत्री			
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)	राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-2				
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री			
गृह	—”—			
जेल	—”—			
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	—”—			
जनसम्पर्क	—”—			
नर्मदा घाटी विकास	—”—			
विमानन	—”—			
खनिज साधन	—”—			
लोक सेवा प्रबंधन	—”—	29.07.2025	30.06.2025	01.07.2025
प्रवासी भारतीय	—”—	05.08.2025	07.07.2025	08.07.2025
विधि एवं विधायी कार्य	—”—			
आनंद	—”—			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	—”—			
वित्त	उप मुख्यमंत्री, वित्त			
वाणिज्यिक कर	उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर			
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी			
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री			
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री			
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग			
वर्ग-3				
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा			
राजस्व	राजस्व मंत्री			
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री			
परिवहन	परिवहन मंत्री	30.07.2025	01.07.2025	02.07.2025
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री	06.08.2025	08.07.2025	09.07.2025
संस्कृति	राज्य मंत्री, संस्कृति			
पर्यटन	राज्य मंत्री, पर्यटन			
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व			
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-4				
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री			
संसदीय कार्य	संसदीय कार्य मंत्री			
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री			
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	31.07.2025	02.07.2025	03.07.2025
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री	07.08.2025	09.07.2025	10.07.2025
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण			
विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण	राज्य मंत्री, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण			
पशुपालन एवं डेयरी	राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी			
वर्ग-5				
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री			
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन मंत्री			
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री			
वन	वन मंत्री	01.08.2025	03.07.2025	04.07.2025
पर्यावरण	पर्यावरण मंत्री	08.08.2025	10.07.2025	11.07.2025
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री			
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री			
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री			
अनुसूचित जाति कल्याण	अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री			

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 24.06.2025

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

1. कृपया प्रश्न यथा समय टंकित कराकर दें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री....." में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार (क), (ख), (ग), (घ) इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
2. कृपया उपर्युक्त चक्रानुक्रम चार्ट अनुसार प्रश्नों की सूचना षोडश विधान सभा के लिये जारी प्रश्न प्रपत्र श्रृंखला 'घ' के प्रपत्रों में ही टंकित कर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करें।
3. विवरण के स्तम्भ (3) से (5) में उल्लेखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग के लिए नियत है।
4. ऑफलाईन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11.00 बजे दिन से 4.30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जावेंगी तथा ऑनलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लेखित दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी।